प्रमुख सचिव नगर विकास महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 06–12–2019 का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की सूची संलग्न है।

बैठक के आरम्भ में मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन द्वारा समिति के गठन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 17/2019/एन.जी.टी.–261/55–पर्या–2–2019–44(रिट)/2018 दिनांक 14.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित सदस्यों को समिति के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य के विषयगत अवगत कराया गया। समिति का दायित्व, कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जनित होने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन एवं निस्तारण के विषयगत नीतिगत निर्णयों को लिये जाने की भी आवश्यकता है, इसलिये संबंधित प्रशासकीय विभागों का उपरोक्त समिति मे गम्भीरता एवं सार्थकता के साथ प्रतिभागिता आवश्यक है, उपरोक्त के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की उपरोक्त समिति में, जो प्रतिभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके दृष्टिगत यह मत स्थिर किया गया कि समिति के नियमित रूप से आगामी होने वाली बैठकों में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सचिव स्तर के अथवा यदि प्रशासकीय विभाग में सचिव नही है तो कम से कम विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप मे नामित किया जाये, जिससे कि समिति द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के विषयगत उक्त प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित कार्य भलीभांति सुनिश्चित हो सके।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अनुश्रवण–

उपरोक्त विषयगत मिशन में नगरीय क्षेत्रों में डोर–टू–डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एवं अपशिष्ट के प्रसंस्करण के विषयगत जो स्थिति समिति के समक्ष रखी गयी, उसमें यह पाया गया कि यद्यपि निकायों द्वारा डोर–टू–डोर कलेक्शन तो किया जा रहा है परन्तु सेग्रीगेशन एवं प्रसंस्करण/ निस्तारण हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास संतोषजनक नहीं है। ठोस अपशिष्ट के विषयगत निम्न निर्णय लिये गये :–

i) निकायों द्वारा समयबद्ध रूप से नियमों के अनरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसकी नियमित समीक्षा जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करें, इस हेतु नियमित रूप से होने वाली वीडियो कान्फ्रेसिंग के अलावा पृथक से मिशन निदेशालय द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश प्रेषित किये जायें।

ii) समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि अभी भी लगभग 150 निकायों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी है। उपरोक्त बिन्दुओं को इंगित करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किये जाने वाले निर्देशों में यह उल्लिखित किया जाये कि वे अनिवार्यतः प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु भूमि यथाशीघ्र उपलब्ध करायें, अन्यथा कि स्थिति में उक्त के विषयगत प्रतिकूल संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु समक्ष स्तर पर अवगत कराया जायेगा।

iii) आर्बिट्रेशन में विवाद के कारण जो प्लांट अक्रियाशील हैं उनके विषयगत प्रबन्ध निदेशक जल निगम तत्काल सभी ऐसे अक्रियाशील प्लांटों की इन्वेन्ट्री तैयार करें और as on where on basis पर उक्त प्लांटों को क्रियाशील किये जाने संबंधित समुचित प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक के पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दें।

iv) समिति के समक्ष इस बिन्दु पर विस्तृत समीक्षा हुई कि जो प्लांट क्रियाशील हैं उनमें भी निर्मित होने वाले कम्पोस्ट के विक्रय की कठिनाई का अनुभव किया जाता है। उपरोक्त के दृष्टिगत मिशन निदेशालय द्वारा प्रत्येक प्लांट पर आरडीएफ एवं कम्पोस्ट के निस्तारण में आ रही चुनौतियों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।

v) सेनेट्री लैण्डफिल साइट के विषयगत यह निर्णय लिया गया कि आरम्भिक चरण में समस्त नगर निगमों में लैण्डफिल साइट के विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव नगर आयुक्तों द्वारा तैयार किया जाये, इस हेतु उन्हें निर्देश प्रेषित किये जाये।

vi) लीगेसी वेस्ट के ट्रीटमेन्ट/डिस्पोजल के विषयगत सीएण्डडीएस द्वारा निविदा का प्रकाशन किया गया है। उपरोक्त निविदा में जिन निकायों को सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी निकायों में विशेषकर ऐसे निकाय जिनकी आबादी 01 लाख से अधिक है वहॉ पर लीगेसी वेस्ट की अनुमानित मात्रा और क्षेत्रफल के विषयगत सूचना प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

Scanned with CamScanner

vii) अनेक निकायों में अभीतक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट बाईलाज उस प्रकार लागू नहीं किये गये जैसाकि नियमों में अपेक्षित है। राज्य स्तर पर अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जो नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसे शीघ्रता से अधिसूचित कराये जाने हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अतः उस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्लास्टिक वेस्टः–

प्लास्टिक वेस्ट के संबंध में नियमों के अनुपालन के विषयगत निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. मिशन निदेशालय स्तर से सभी निकायों में इस विषय में समुचित बाइलाज पारित कराये जाने की प्रगति की समीक्षा की जाये और जिलाधिकारीगण को अपने क्षेत्राधिकार की निकाय के विषयगत बाइलाज अधिसूचित कराये जाने की प्रगति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
2. सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी बैन के विषयगत समिति को यह अवगत कराया गया कि अबतक राज्य में कुल 652 टन प्रतिबन्धित सामग्री जब्त कर 7.4 करोड़ रूपये कि पेनाल्टी अधिरोपित की गयी है। यह निर्णय लिया गया कि सतत रूप से उपरोक्त इनफोर्समेन्ट प्रभावी रहें इस हेतु वीडियों कान्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारीगण को अवगत कराया जाये।
3. वेस्ट प्लास्टिक के सड़क निर्माण परियोजना में उपयोग किये जाने के विषयगत विभिन्न नगरों में विशेषकर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पायलेट आधार पर कार्य किया गया है। अतः इस विषयगत मार्ग–दार्शिका एवं दिशा निर्देश लोक निर्माण विभाग द्वारा निरूपित कर सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य करने वाले विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को प्रेषित किये जाने के विषय में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
4. Extended Producer Responsibility एवं प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के अनुरूप प्रयुक्त मल्टी लेवल पैकेजिंग के अनुपालन की स्थिति के बिन्दु को उत्तर प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
5. प्लास्टिक वेस्ट के पयूल के रूप में प्रयुक्त किये जाने के विषयक विकल्प पर नगर निगमों में वेस्ट टू पयूल प्लांट के अधिष्ठापन हेतु मॉडल आरएफपी निर्मित कर निविदा की कार्यवाही स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित करायी जाये।

कन्स्ट्रक्शन एवं डेमोलेशन वेस्ट

उपरोक्त विषयगत नीति के ड्राफ्ट के संबंध में विचार विमर्श में मिशन निदेशक द्वारा निम्न बिन्दु संज्ञान में लाये गयेः–

A. The rules suggests that processing facility shall be developed in all ULBs whereas most of the ULBs that are much smaller in size, don't have financial viability to set up a C&D waste processing plant. It is pertinent here to mentioned that a circular of MOHUA issued during the year 2012 also suggested to set up recycling facilities in all cities with population of over 1 million population. Thus, the point of financial viability of setting and operating C&D recycling facility needed some more consultation before issuing state policy.
B. During discussion it was also observed that except very few city (Delhi/Ahamadabad and a few) there is no experience of setting up of C&D recycling facility and in the technical manual issued by CPHEEO on solid waste there is no technical guideline in regard to machinery and equipment that may be required for setting up of a recycling facility so there is a need to formulate a technical BOQ/specification of C&D Waste recycling facility for guidance of the ULBs. The department is examining the various technical guidelines issued by BMTPC, CPCB.
C. It was observed under discussion that a SoR for recycled material must be prepared so that market for recycled C&D waste is developed and thus this is also under process by PWD.

उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि आरम्भिक तौर पर प्लांट प्रोसेसिंग हेतु रिसाइकिलिंग फैसिलिटी विकसित किये जाने के लिये राज्य के नगर निगमों में प्रथम चरण में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही कन्स्ट्रक्शन एवं डेमोलेशन वेस्ट हेतु तकनीकी मानकों के संबंध में UPPCB/CPHEEO से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाये और उपरोक्त बिन्दु पर यदि सम्भव हो तो एक वर्कशाप/सेमीनार आयोजित की जाये, जिसमें संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओ तथा रिसाइकिलिंग फैसेलिटी को आपरेट करने वाले फर्म/व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाये जिससे इस विषय में प्लांट अधिष्ठापन/रिसाइकिलिंग फैसेलिटी को विकसित किये जाने के संबंध में मार्ग–दार्शिका निरूपित की जा सकें।

Scanned with CamScanner

लोक निर्माण विभाग द्वारा कन्स्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट के रिसाइकिलिंग उत्पाद की शेड्यूल आफ रेट (SOR) हेतु समुचित प्रस्ताव नियमों के अनुरूप तैयार कर लोक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त को अधिसूचित किया जाये इस हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन

इस विषय में चिकित्सा विभाग द्वारा तैयार किये गये एक्शन प्लान के विषयगत समयबद्ध रूप से उपरोक्त की कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ–साथ निजी अस्पतालों एवं यूनिटों में जहॉ कि बायोमेडिकल वेस्ट जनित होता उनके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है अतः उपरोक्त के विषयगत की जा रही कार्यवाही एवं प्रगति के संबंध में आगामी बैठक में वस्तुस्थिति समिति के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाये।

ईवेस्ट प्रबन्धन नियम 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के विषयगत विभिन्न विभागों द्वारा जो कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है, उसके विषय में बिन्दुवार आख्या संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत रूप से संकंलित करते हुए समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Manoj 23.12.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–5300/ नौ–5–2019
लखनऊः दिनांक 23.12. 2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग उ0प्र0।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0।
13. राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
15. आयुक्त, वाणिज्यि एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0।
16. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
17. सदस्य, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
18. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
19. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
20. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
21. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
22. निदेशक, नीरी, नागपुर।
23. निदेशक, आईआईटीआर लखनऊ।
24. अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
25. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Manoj 23.12.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,

Scanned with CamScanner